

समाचार
“ प्लास्टिक फी कोरबा ”

दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्लास्टिक फी कोरबा बनाने में सहयोग दें—आयुक्त

(आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने ली व्यापारी संघों की बैठक, प्लास्टिक मुक्त कोरबा बनाने किया आह्वान, व्यापारियों ने जताई सहमति, निगम की पहल का किया स्वागत)



कोरबा – आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने नगर के व्यापारीबंधुओं का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें, निगम द्वारा प्लास्टिक फी कोरबा का लक्ष्य रखा गया है, कोरबा को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग दें। व्यापारी संघ के सदस्यों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग न करने पर अपनी सहमति जताई तथा निगम की इस महत्वपूर्ण पहल का स्वागत किया।

आयुक्त श्री शर्मा ने नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में नगर के विभिन्न व्यापारी संघों व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक के दौरान आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने व्यापारीबंधुओं से कहा कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें। प्लास्टिक पर्यावरण, साफ–सफाई तथा मानव स्वास्थ्य के साथ–साथ मवेशियों आदि के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। शासन ने भी निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक एवं उससे बनी सामग्री के निर्माण, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, अतः प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें। आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा “ प्लास्टिक फी कोरबा ” का लक्ष्य रखा गया है एवं कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त करने हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि के स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, ग्राहकों को प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर आयें, व्यापारीबंधु अपनी दुकानों में भी कपड़े, जूट आदि के थैले रखें तथा ग्राहकों की सुविधा व उनकी मांग पर बाजिव दाम उन्हें उपलब्ध कराएं।

निगम की पहल का स्वागत— बैठक के दौरान जिला चेम्बर आफ कामर्स के महामंत्री यूनुस मेमन ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न किए जाने के संबंध में की जा रही निगम की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व में भी इसमें हमारा पूरा सहयोग दिया गया है, निश्चित रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग सभी के लिए हानिकारक है। उन्होंने व्यापारीबंधुओं से अपील भी की कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि नगर निगम के सहयोग से प्रत्येक दुकान पर प्लास्टिक प्रतिबंध से संबंधित स्टीकर, पम्पलेट आदि के माध्यम

से प्रचार प्रसार कराया जाए। भेग मार्ट के संचालक भोलू अग्रवाल ने प्लास्टिक प्रतिबंध पर अपनी सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, हम व्यापारीगण इस दिशा में पूरा सहयोग करेंगे। इसी प्रकार दर्दी व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मनीष अग्रवाल ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने के संबंध में निगम द्वारा की गई पहल का हम स्वागत करते हैं, हमारे द्वारा इसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा तथा हम अपने व्यापारीबंधओं व आमनागरिकों को इस हेतु जागरूक भी करेंगे।

खुद वैक्सीन लगवाएं, ग्राहकों को भी प्रेरित करें— आयुक्त श्री शर्मा ने बैठक के दौरान व्यापारीबंधुओं से कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ किन्तु खतरा अभी टला नहीं है, अतः अभी भी पूरी सावधानी बरतना, कोविड प्रोटोकाल का पालन करना तथा शीघ्र से शीघ्र वैक्सीन लगवाना अतिआवश्यक है। आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 34 टीकाकरण केन्द्रों एवं 08 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिक निगम कोरबा का अमला पूरी निष्ठा के साथ जुटा हुआ है, मितानिनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं, नागरिकों का सहयोग इस कार्य में लिया जा रहा है। आयुक्त श्री शर्मा ने व्यापारीबंधुओं से आग्रह करते हुए कहा कि आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि में प्रतिदिन काफी संख्या में ग्राहकों का आगमन होता है, आप अपने ग्राहकों से जानकारी लें कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया या नहीं, यदि नहीं लगवाया तो उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि शीघ्र से शीघ्र शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो सके तथा कोरोना संक्रमण के खतरे को खत्म किया जा सके।

बैठक के दौरान अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के.सारस्वत, डॉ.संजय तिवारी, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि यूनुस मेमन, राजेन्द्र अग्रवाल, मोहन लाल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल विनोद सिन्हा, राजेन्द्र तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।